जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 21.08.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 360 वाहनों से 395,000रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 21.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 360 वाहनों से 395,000रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 755/2025 धारा 190/191(2)/191(3)/103(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता रोहित यादव पुत्र विश्वनाथ यादव निवासी पूर्वी बंजरिया, यादव टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 21.08.2025 को नियमानुसार श्मशानघाट इंडस्ट्रियल एरिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बढोत्तरी की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः- रोहित यादव पुत्र विश्वनाथ यादव निवासी पूर्वी बंजरिया, यादव टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

विदित हो कि दिनांक 19.08.2025 वादी श्री रविप्रकाश सिंह पुत्र स्व० राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पटखौली वार्ड न0 8 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, थाना कोतवाली खलीलाबाद पर द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 18.08.2025 समय रात्रि लगभग 9.00 से 9.30 के बीच हमारे मोबाइल पर फोन आता है कि हमारे भतिजे आयुष सिंह (संगम) पुत्र राघवेंद्र प्रताप सिंह निवासी बड़ी पटखौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को किसी ने गोली मार दी । सूचना पर हम जिला अस्पताल खलीलाबाद गये जहाँ मेरे भतिजे को मृत घोषित कर दिया गया। उक्त प्रर्थाना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 755/2025 धारा 190/191(2)/191(3)/103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 21.08.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी का विवरण – 02 अदद जिंदा कारतूस 7.65 बोर।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय, व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, उ0नि0 श्री इल्ताफ खान, हे0का0 पप्पू सिंह, का0 बलराम यादव, का0 संजीत कुशवाहा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप छेड़खानी, गृह अतिचार व पाक्सो एक्ट के मामले में 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 21.08.2025 को ***माननीय न्यायालय एएसजे / एसपीजे / पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 04/2018 धारा 354क/452/323/504 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता विजेंद्र उर्फ विरेंद्र पुत्र बीरबली निवासी ऊँचहरा खुर्द थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्धि के आधार पर अन्तर्गत धारा 452 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 2500 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा, तथा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 2500 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास से भुगतना होगा। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। धारा 323/504 भाद व अंतर्गत आरोप से दोष मुक्त किया गया है।